भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1660

उत्तर देने की तारीख : 29.07.2026

उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

1660. श्री देवेश शाक्य:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान कासगंज और एटा के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत स्वीकृत स्कूलों और कॉलेजों की संख्या कितनी है;

(ख) इन जिलों में अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को दी गई प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा गंज डुंडवारा (कासगंज) जैसे क्षेत्रों में स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए 'हुनर हाट' या स्थायी विपणन केंद्र स्थापित किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त जिलों में वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है और जनहित में उनका उपयोग करने की क्या योजना है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क): प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) एक केंद्रीय प्रायोजित योजना तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं में से एक है। इस योजना का उद्देश्य देश के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, महिला-केंद्रित परियोजनाओं, पेयजल एवं स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा तथा अन्य सामुदायिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के कासगंज एवं एटा जिलों में PMJVK के अंतर्गत कोई भी विद्यालय एवं महाविद्यालय स्वीकृत नहीं किए गए हैं।

(ख): भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा देशभर में छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों, अर्थात् बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी एवं सिख समुदायों के विद्यार्थियों के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाएँ, अर्थात् मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना तथा मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना को लागू किया गया है।

इन तीनों छात्रवृत्ति योजनाओं को शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के बाद बंद कर दिया गया। तथापि, इन योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत छात्रवृत्तियों से उत्पन्न प्रतिबद्ध देयताओं के भुगतान हेतु वर्ष 2021-22 के बाद भी निधियाँ जारी की जाती रहीं।

वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान कासगंज एवं एटा जिलों में संवितरित छात्रवृत्तियों का जिला-वार एवं वर्ष-वार विवरण **अनुबंध–I** में दिया गया है।

(ग): मंत्रालय द्वारा पूर्ववर्ती USTTAD योजना के अंतर्गत 41 हुनर हाटों का आयोजन किया गया, जिनके माध्यम से उत्तर प्रदेश सहित देशभर के कारीगरों, शिल्पकारों एवं पाक कला विशेषज्ञों को अपने हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पादों तथा पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित करने और उनके विपणन हेतु एक मंच प्रदान किया गया।

USTTAD योजना को वर्ष 2021-22 से PM VIKAS (प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन) योजना में समाहित कर दिया गया है।

PM VIKAS योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जो देशभर के अल्पसंख्यक कारीगरों का एक संगम है तथा उन्हें अपने व्यवसायों का विस्तार करने तथा बाजार तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह आयोजन कारीगरों को उनकी स्वदेशी कला, शिल्प एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है जिसमें उद्यमिता और सतत आजीविका को बढ़ावा मिलता है।

मंत्रालय को अब तक गंज डुंडवारा (कासगंज) जैसे क्षेत्रों में स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हुनर हाट अथवा स्थायी विपणन केंद्र स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता एवं विकास (UMEED) अधिनियम, 1995 की धारा 3(टक) के प्रावधानों के अनुसार UMEED केंद्रीय पोर्टल–2025 विकसित किया गया एवं इसे दिनांक 06.06.2025 को प्रारंभ किया गया। यह पोर्टल मौजूदा वक्फ संपत्तियों तथा वक्फ को समर्पित संपत्तियों के विवरण अपलोड करने, नए वक्फ का पंजीकरण करने तथा वक्फ संस्थानों के समग्र प्रबंधन एवं प्रशासन की सुविधा प्रदान करता है।

दिनांक 24.07.2026 की स्थिति के अनुसार, UMEED केंद्रीय पोर्टल–2025 पर उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से संबंधित कुल 357 वक्फ संपत्तियों तथा एटा जिले से संबंधित कुल 1,032 वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड किया जा चुका है।

UMEED केंद्रीय पोर्टल–2025 एक परिवर्तनकारी सुधार है, जिसका उद्देश्य वक्फ परिसंपत्तियों की एक व्यापक डिजिटल रिपॉजिटरी के निर्माण के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इस पोर्टल की परिकल्पना यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि वक्फ संपत्तियाँ अपने धर्मार्थ उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें।

अनुबंध-I

'उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' विषय पर श्री देवेश शाक्य द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 29.07.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1660 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक कासगंज एवं एटा जिलों के लिए मैट्रिक-पूर्व एवं मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत संवितरित छात्रवृत्तियों का विवरण									
वर्ष	**जिला**	**मैट्रिक-पूर्व**				**मैट्रिकोत्तर**			
		लाभार्थियों की संख्या			**धनराशि**	**लाभार्थियों की संख्या**			**धनराशि**
		नवीन	**नवीनीकृत**	**कुल**		**नवीन**	**नवीनीकृत**	**कुल**	
2020-21	एटा	454	76	530	1317850	89	7	96	732500
	काशीरामनगर (कासगंज)	3329	3038	6367	14492460	1017	640	1657	11382240
2021-22	एटा	313	158	471	2278410	58	21	79	634034
	काशीरामनगर (कासगंज)	2435	2302	4737	13592290	650	546	1196	9376835
2022-23	एटा	0	28	28	143400	0	6	6	51100
	काशीरामनगर (कासगंज)	0	237	237	1194400	0	263	263	1905525
कुल		**6531**	**5839**	**12370**	**33018810**	**1814**	**1483**	**3297**	**24082234**
